# होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मुख्यालय मध्यप्रदेश

## //आदेश//

क्रमांक 1–13/ 7315 /स्था0(3)/2017, जबलपुर दिनांक 08-08/2017

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पत्र क्रमांक पी.ई.बी. /5–प–1/2686/2017, भोपाल दिनांक 02–05–2017 के द्वारा प्राप्त परीक्षा परिणामों के आधार पर एवं मध्यप्रदेश नगर सेना, तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भरती नियम 1996 के प्रावधानानुसार कु0 नीलोत्पमा दुबे, पिता श्री रामकुमार दुबे को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर शीघ्रलेखक ग्रेड–3 के पद पर वेतनमान रूपये 5200–20200+ग्रेडपे 2800 तथा शासन द्वारा समय–समय पर मान्य अन्य भत्तों पर नियुक्त किया जाकर वेतन आहरण की दृष्टि से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से **होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मुख्यालय जबलपुर** में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

2/ यह सेवा किसी भी समय एक माह का लिखित नोटिस उनके द्वारा नियुक्ति अधिकारी को देकर या नियुक्ति अधिकारी द्वारा उन्हें देकर समाप्त की जा सकती है। एक माह का नोटिस दिए बिना, यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ते या ऐसी अवधि का वेतन तथा भत्ता, जिसमें एक माह का समय कम पड़ता हो देना पड़ेगा। ऐसा न करने पर यह रकम उनके भू–राजस्व से बकाया के तौर पर वसूल की जावेगी।

3/ राज्य शासन के अधीन दिनांक 01–01–05 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जायें और उन्हें लागू किया जाये, के अधीन रहेंगे।

4/ विभिन्न इकाईयों से प्राप्त होने वाले चरित्र सत्यापन प्राप्त हो गये हैं, उनको छोड़कर जिनके चरित्र सत्यापन अन्य इकाईयों से प्राप्त होना शेष है, उनके विरूद्ध कोइ अपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाये जाने पर या सेवा के अयोग्य टीप प्राप्त होने पर नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावेगा।

5/ दो फोटो पासपोर्ट साईज (विवाहित होने की स्थिति में संयुक्त फोटो) एवं दो सेवापुस्तिका सहित दिनांक 10–08–2017 से 16–08–2017 तक एक सप्ताह के अन्दर होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर में प्रातः 10:30 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें।

6/ प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त नियुक्ति के संबंध में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा म0प्र0 लोक सेवा (विशेष भर्ती अभियान नियम–2002) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

**(विजय कुमार सिंह)**
डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड मध्यप्रदेश

2.....

पृ0क्रमांक 1–13/ 7316 /स्था0(3)/2017, जबलपुर दिनांक 08/08/2017
प्रतिलिपिः–

1– महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2– संचालनालय, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– सीनियर स्टाफ आफीसर (वित्त–स्था0) को अग्रेषित।
4– आहरण एवं संवितरण अधिकारी होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर।
5– जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर की ओर अग्रेषित।
6– लेखापाल/ बजट शाखा/कार्यालय प्रमुख शाखा/पेंशन शाखा होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7– संबंधित को पालनार्थ। कृपया निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

**(विजय कुमार सिंह)**
डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड मध्यप्रदेश

**आंतरिक :–**

पी0एस0टू डी0जी0
पी0ए0टू ए0डी0जी0
पी0ए0टू आई0जी0
पी0ए0टू ए0सी0जी0
एस0एस0ओ0 (वित्त/स्थापना) ओ0एस0/प्रशि0–1/1–ए/
ए0सी0आर0शाखा/गो0शा0(3)/रिकार्ड